"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2005—आश्विन 28, शक 1927

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/खाद्य/2005/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम 2 में विनिर्दिष्ट पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्षों को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त सारणी के कालम 3 में विनिर्दिष्ट अंशकालिक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरमों का अध्यक्ष नियुक्त करती है :—

सारणी

क्र. (1)	पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता फोरम का नाम (2)	संबद्ध अंशकालिक जिला उपभोक्ता फोरम का नाम (3)
1.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रायपुर	1 जिला उपभोक्ता फोरम, धमतरी 2 जिला उपभोक्ता फोरम, महासमुंद
2.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बस्तर	1 जिला उपभोक्ता फोरम, कांकेर 2 जिला उपभोक्ता फोरम, दंतेवाड़ा

(1)	(2)	(3)
3.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर	1 जिला उपभोक्ता फोरम, कोरबा 2 जिला उपभोक्ता फोरम, जांजगीर-चांपा
4.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सरगुजा	जिला उपभोक्ता फोरम, जशपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

क्र. एफ 5-9/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-10-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 20th October 2005

NOTIFICATION

No. F 5-9/food/2005/29.—In exercise of powers conferred by clause of sub-section (1) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986), the State Government is hereby appoint following President of Full time District Consumer Disputes Redressal Forum, showing in col. 2 as the President of Part time Consumer Disputes Redressal Forum showing in col. 3 of table shown below in addition to his own duty from the date they assume charge:—

TABLE

No. (1)	Name of Full time District Consumer Forum (2)	Name of Part time District Consumer Forum which clubbed (3)
1.	President, District Consumer Forum, Raipur	1 District Consumer Forum, Dhamtari 2 District Consumer Forum, Mahasamund
2.	President, District Consumer Forum, Bastar	1 District Consumer Forum, Kanker 2 District Consumer Forum, Dantewada
3.	President, District Consumer Forum, Bilaspur	1 District Consumer Forum, Korba 2 District Consumer Forum, Janjgir-Champa
4.	President, District Consumer Forum, Surguja	District Consumer Forum, Jashpur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.